DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday, 09th April, 2007/19Chaitra 1929

No. 203

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, Distt. New Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Jadish Mukhi, Shri Ramesh Bidhuri, Dr Harshvardhan and Shri Sushil Chaudhary, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from P.S Parliament Street at 1215 hrs. on 9.4.2007.

They were released at 1220 hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार ,09 अप्रैल,2007/चैत्र 19,1929(शक)

संख्या- २०३

विषय: सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, नई दिल्ली, जिला से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ.जगदीश मुखी, श्री रमेश विधूड़ी, डॉ0 हर्ष वर्धन एवं श्री सुशील चौधरी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 09.04.2007 को अप.12.15 बजे, पुलिस स्टेशन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 12.20 बजे रिहा कर दिया गया"।

सिद्धार्थ राव सचिव